निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1942 (श0)

(सं0 पटना 390) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020

सं० 27/आरोप–01–44/2019–3930/सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

18 मार्च 2020

श्रीमती रेखा कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 509/2011, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी के विरूद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी के पदस्थापन काल से संबंधित प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र विभागीय पत्रांक–12692 दिनांक–27.08.2015 के माध्यम से श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस क्रम में उनका स्पष्टीकरण दिनांक–04.09.2015 प्राप्त हुआ। प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–10640 दिनांक–03.08.2016 द्वारा परिवहन विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। परिवहन विभाग के पत्रांक–1523 दिनांक–28.02.2018 द्वारा पूर्व प्रेषित मंतव्य (यथा परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–980 दिनांक–24.02.2015) द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित कई आरोपों को सत्य प्रतीत होने का तथ्य दिया गया है।

श्रीमती कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं परिवहन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5848 दिनांक–08.05.2018 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया। विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 607 दिनांक 19.07.2018 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध सभी तीन आरोपों को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित बताया गया है। विभागीय पत्रांक 10412 दिनांक 03.08.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन पर श्रीमती कुमारी से लिखित अभिकथन की मांग गयी। उक्त के आलोक में श्रीमती कुमारी का लिखित अभिकथन दिनांक 20.08.2018 प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत :– **(1) निन्दन (2) दो वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक** का दंड विनिश्चित किया गया।

उक्त विनिश्चित दंड के क्रमांक 2 में अंकित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति संसूचित करने का अनुरोध विभागीय पत्रांक–2255 दिनांक–18.02.2019 द्वारा किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2987 दिनांक–14.02.2020 द्वारा दिनांक–05.02.2020 को आयोग की बैठक की कार्रवाई की कंडिका–5 में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध अधिरोपित तीन वेतन वृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोकने संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

श्रीमती रेखा कुमारी के दिनांक–30.11.2021 को वार्धक्य सेवा निवृत्ति को दृष्टिपथ में रखते हुए तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के स्थान पर दो वेतन वृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमती रेखा कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 509/2011, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

(1) निन्दन (2) दो वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 390-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in